समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड
बौने व्यक्तियों (4 फुट से कम ऊँचाई) के भरण पोषण अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र

1 आवेदक का नाम कु0/श्री/श्रीमती .....

2 पिता/पति का नाम श्री .....

3 स्थायी पता–.....

मोहल्ला/ग्राम.....

पोस्टआफिस–.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

न्याय पंचायत .....विकासखण्ड.....

तहसील.....जनपद.....

नवीनतम् फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

4 बौने की ऊँचाई.....

(बौने व्यक्ति की ऊँचाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकासखण्ड/तहसील के सहायक समाज कल्याण अधिकारी की जॉच रिर्पोट अनिवार्य रुप से अंकित होनी है)

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्री/श्रीमती .....जिनकी ऊँचाई 4 फुट से कम है, बौना व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता योजना हेतु पात्रता की श्रेणी में हैं ।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

5 जाति .....

6 बी0पी0एल0 चयनित परिवार का क्रमांक (खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिया गया बी0पी0एल0 प्रमाण–पत्र **अथवा** तहसीलदार द्वारा दिया गया आय प्रमाण–पत्र).....

(उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करें)

7 जन्मतिथि/आयु .....

(भाग–दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण–पत्र की प्रति)

8 डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक का नाम एवं पता जहॉ आवेदक का खाता है.....

खातासंख्या																
IFSC Code No																

डाकघर/ बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्वच्छ स्पष्ट फोटो प्रति जिसमें बैंक खातासंख्या एवं आईएफएससी कोड संख्या का उल्लेख हो , अनिवार्य रुप से आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें।

आवेदक द्वारा घोषणा–

मैं कु0/श्री/श्रीमती .....घोषणा करती/करता हूँ कि आवेदन–पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगी/रहूँगा। किसी भी बिन्दु पर दी गयी असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रुप में प्राप्त धनराशि को भू–राजस्व के रुप में राजकोष में जमा करुँगी/करुँगा।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर

शहरी क्षेत्र के लिये

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मुहर